न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 85 / 2021

1 अजय बाहेती पुत्र भीखमचन्द बाहेती जाति महाजन निवासी बी.टी.1 सतलड़ा अपार्टमेन्ट सेक्टर नम्बर 2 विधाधर नगर जयपुर जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 गीता देवी पत्नी बीरबल सिंह।
2 प्रहलाद सिंह पुत्र बीरबल सिंह।
3 मनोहरी देवी पत्नी हरफूल सिंह।
4 विकास बाजया पुत्र हरफूल सिंह।
5 श्रवणी देवी पत्नी छाजूराम।
6 बीरबल सिंह पुत्र छाजूराम।
7 हरफुल सिंह पुत्र छाजूराम समस्त जाति जाट निवासीगण लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
8 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रींगस जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 राधा देवी पुत्री रामनाथ पत्नी झाबरमल।
10 मंसी देवी पुत्री रामनाथ पत्नी रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी ग्राम आकवा तहसील धोद जिला सीकर।
चावली देवी पुत्री रामनाथ पत्नी नेमीचन्द सुण्डा जाति जाट निवासी लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी बडवासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
11 हरफुल सिंह पुत्र छाजूराम जाति जाट निवासी लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 भंवरी देवी पुत्री छाजूराम पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी झरी की ढ़ाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
13 सजना देवी पुत्री छाजूराम पत्नी भागीरथ देगढ़ा।
14 सुनिता पुत्री छाजूराम समस्त जाति जाट निवासी गिरधारी का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
15 पटवारी हल्का बावडी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
16 भूमिधारी जरिये तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।
17 उप पंजियक महोदय खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला जिला सीकर श्री राकेश कुमार आर.ए.एस. दिनांक 13.09.2021 (वाद संख्या 175/2014 बउनवानी राधा देवी व अन्य बनाम अजय बाहेती व अन्य।

उपस्थिति :

1. श्री विजयसिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 05.04.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 175/2014 में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट संख्या 6 से 8 की ओर से ग्राम लाखनी तहसील खण्डेला की भूमि खसरा नम्बर 1205/133,1208,12131302,1303,1322 बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपील अपीलांट की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि रामनाथ की खातेदारी की थी। रामनाथ की मृत्यु 1988 में होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 47 फूली देवी व छाजु के नाम दर्ज हुई है। वादीगण द्वारा इस नामान्तकरण को कभी भी चुनौती नही दी गई है। छाजु की फौतगी वर्ष 1989 में होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 63 छाजु के वारिसान के नाम दर्ज किया गया। इस नामान्तकरण को भी वादीगण द्वारा कभी भी चुनौती नही दी गई है। सन 2005 में फुली देवी व छाजु के वारिसान द्वारा विवादित भूमि विमला को विक्रय की गई, विमला ने सरस्वती आदि को विक्रय किया एवं सन 2008 में अपीलांट अजय बाहेती को विक्रय की गई है। विचाराधीन वाद 2014 में प्रस्तुत किया गया है। यहां यह भी विचारणीय है कि रामनाथ की भूमि 5.23 हैक्टेयर में से 1.09 हैक्टेयर रामनाथ के वारिसान के पास है। शेष 4.14 हैक्टेयर विक्रय की जा चुकी है। वादी द्वारा दावा केवल विक्रिय की गई भूमियों के सन्दर्भ में ही किया गया है। वादी द्वारा विक्रय पत्रो एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन संजरव अपील अधिकारी
सीकर

नामान्तकरणों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष कोविड–19 के महामारी के समय वादीगण द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा इस आवेदन पर प्रतिवादीगण को सम्यक तामील करवाये बिना ही आवेदन स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है स्पष्ट है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी हो ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन करने हेतु धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर चुके है। अत अपील के स्तर पर अपीलांट तामील का बिन्दु नही उठा सकते है अन्य प्रतिवादी रेस्पोडेंट के सन्दर्भ में ऐतराज करने का अपीलांट को अधिकार नही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विरासत प्रथम श्रेणी के समस्त वारिसान के नाम हस्तान्तरित होती है। प्रस्तुत प्रकरण में पुत्रियों को वंचित कर दिया गया है। विधि अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस को नामान्तकरण को चुनौती देना आवश्यक नही है। अपने अधिकारों की घोषणा हेतु दावा कर सकती है। पुत्री के अधिकारो के विपरित निष्पादित विक्रय पत्र नल एण्ड वॉईड है। वादी के पिता ने भूमियों का बेचान नही किया है। अत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान लागु नही होते है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा दिन प्रतिदिन की देरी का कारण अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील गुणावगुण एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि रामनाथ की खातेदारी की थी। रामनाथ की मृत्यु 1988 में होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 47 फुली देवी व छाजु के नाम दर्ज हुई है। वादीगण द्वारा इस नामान्तकरण को कभी भी चुनौती नही दी गई है। छाजु की फौतगी वर्ष 1989 में होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 63 छाजु के वारिसान के नाम दर्ज किया गया। इस नामान्तकरण को भी वादीगण द्वारा कभी भी चुनौती नही दी गई है। सन 2005 में फुली देवी व छाजु के वारिसान द्वारा विवादित भूमि विमला को विक्रय की गई, विमला ने सरस्वती आदि को विक्रय किया एवं सन 2008 में अपीलांट अजय बाहेती को विक्रय की गई है। विचाराधीन वाद 2014 में प्रस्तुत किया गया है। यहां यह भी विचारणीय है कि रामनाथ की भूमि 5.23 हैक्टेयर में से 1.09 हैक्टेयर रामनाथ के वारिसान के पास है। शेष 4.14 हैक्टेयर विक्रय की जा चुकी है। वादी द्वारा दावा केवल विक्रिय की गई भूमियों के सन्दर्भ में ही किया गया है। वादी द्वारा विक्रय पत्रो एवं नामान्तकरणों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष कोविड–19 के महामारी के समय वादीगण द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा इस आवेदन पर प्रतिवादीगण को सम्यक तामील करवाये बिना ही आवेदन स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है स्पष्ट है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरत अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी हो ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन करने हेतु धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर